संख्याः–/01/(वि0आ0निदे0)/XXVII(1)/2020

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज विभाग,
डांडा लखौण्ड़, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून।

वित्त विभाग ::देहरादून:: **दिनांकः** 17 **जुलाई, 2020**

विषयः– **15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में समस्त जिला पंचायतों को निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश सं–F.15(4) FC-XV/FCD/2020-25, दिनांकः 15.07.2020 के कम में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समस्त जिला पंचायतों को निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के लिए संलग्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 की प्रथम किश्त ₹21,52,50,000.00 (₹इक्कीस करोड़ बावन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आवंटित करने हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– **भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार निर्दिष्ट अनुदान का उपयोग (क) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को कायम रखने और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चकण के लिए किया जायेगा। स्थानीय निकाय इन निर्दिष्ट अनुदानों को यथा संभव दो महत्वपूर्ण सेवाओं, प्रत्येक के लिए आधा–आधा निर्धारित करेंगे। तथापि यदि कोई स्थानीय निकाय किसी एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरा कर चुका है तत्पश्चात् इन निधियों को अन्य श्रेणी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।**

3– **15वें वित्त आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को संस्तुत अनुदान के उपयोग के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–15(2)FC-XV/FCD/ 2020-25, दिनांकः 01.06.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश दिनांकः 15.07.2020 में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पंचायतीराज विभाग द्वारा भली–भांति अध्ययन किया जायेगा तथा उक्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार निर्दिष्ट अनुदान के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि का उपयोग करते हुये निर्धारित एनेक्सर–II पर वांछित सूचना उपलब्ध करायी जायेगी। उपर्युक्त के संबंध में कृत कार्यवाही से वित्त विभाग को अवगत कराया जायेगा।**

4– उपर्युक्त के अतिरिक्त अनुदान की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अन्तर्गत अवमुक्त की जानी प्रस्तावित हैः–

(1) वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–132/xxvii(6) /430/ एक/ 2008/ 2019, दिनांकः 29 मार्च, 2019 द्वारा 01 अप्रैल, 2019 से राज्य के समस्त शासकीय विभागों में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) लागू कर दी गई। उक्त शासनादेश में दी गई व्यवस्थानुसार निदेशक, पंचायतीराज विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन बिल तैयार कर जिला पंचायतों के लिए अवमुक्त धनराशि को संलग्न विवरणानुसार अपर मुख्य अधिकारी के स्तर पर उपलब्ध खातों में तत्काल हस्तान्तरित किया जायेगा। उपरोक्त की सूचना वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक, पंचायतीराज द्वारा धनराशि अपने स्तर पर नहीं रोकी जायेगी।

(2) शासनादेश संख्याः 381/06/ (वि.आ.निदे.)/ xxvii(1)/ 2020, दिनांकः 26.05.2020 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं हेतु निर्धारित बैण्ड के अनुसार अनुदान की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(3) **अवमुक्त की जा रही धनराशि को भारत सरकार से जारी होने के दिनांकः 15/07/2020 से दस कार्य दिवसों के अर्न्तगत अपर मुख्य अधिकारी को हस्तान्तरित किया जायेगा। बिलम्ब होने की स्थिति में बाजार ऋण या राज्य विकास ऋण (SDLs) द्वारा निर्धारित पिछले वर्ष के ब्याज की दरों के अनुसार प्रतिदिन का ब्याज का भुगतान, जिला पंचायतों को पंचायतीराज विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, पंचायतीराज की होगी।**

(4) **15वें वित्त आयोग की धनराशि के उपयोग के संबंध में उक्त दिशा–निर्देशों को पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त दिशा–निर्देशानुसार प्राथमिक/अर्निदिष्ट अनुदान (Untied Grant) तथा निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज विभाग द्वारा समयबद्ध रूप से यथा–आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।**

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली–2017 में निहित प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अर्न्तगत किया जायेगा।

(6) संबंधित अपर मुख्य अधिकारी द्वारा, जिला पंचायतों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र, अध्यक्ष, जिला पंचायत से प्रतिहस्ताक्षर कराकर निदेशक, पंचायतीराज को उपलब्ध कराये जायेंगे। निदेशक, पंचायतीराज द्वारा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का अपने स्तर पर संकलन एवं परीक्षण कराने के उपरान्त उनको प्रतिहस्ताक्षर कर प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा। वित्त विभाग को उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्यो का क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायतवार भौतिक प्रगति तथा व्यय की गई धनराशि) भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

(7) उपरोक्तानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करने का उत्तरदायित्व संबंधित अपर मुख्य अधिकारी का होगा। संकमित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांकः 31 दिसम्बर, 2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विलम्ब के कारण धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये निदेशक पंचायतीराज एवं अपर मुख्य अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। अवमुक्त धनराशि के समुचित उपयोग के लिए निदेशालय स्तर पर निदेशक, पंचायतीराज तथा जिला स्तर पर विभागीय अपर मुख्य अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(9) निदेशक, पंचायतीराज के पत्र संख्याः 193/3–पं./ग्रा.पं./173/2020–21 दिनांकः 28 मई, 2020 के अनुसार उत्तराखण्ड में परिसीमन/ग्राम पंचायतों के शहरी स्थानीय निकायों में संविलियन तथा कतिपय शहरी स्थानीय निकायों में सम्मलित ग्राम पंचायतों का पुनः ग्राम पंचायतों के रूप में परिवर्तित होने के उपरान्त वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की स्थिति में अन्तर आया है। इस बदले हुए जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुसार ही धनराशि संकमित की जा रही है, जिसके कारण जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के अंश एवं संकमित की जा रही धनराशि में आंशिक वृद्धि अथवा कमी सम्भव है।

(10) जिला पंचायतवार फांट, अलाटमैंट आई.डी एवं अनुदान हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र का प्रारूप– II संलग्न है। ई–मेल से भी शासनादेश उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रारूप–II पर सूचना निकायों को धनराशि हस्तान्तरित करते ही प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीरात के हस्ताक्षर कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

(11) 15वें वित्त आयोग की धनराशि से सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्माण स्थल पर साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर **"15वॉ वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य"**, निर्माण कार्य का वर्ष एवं योजना की लागत इंगित की जायेगी।

(12) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या– 07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604– स्थानीय निकाय तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा

समनुदेशन, 200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन, 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 0107– जिला पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त मूल अनुदान, 69–समनुदेशन नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

संख्याः– 564 / 01 / (वि0आ0निदे0) / XXVII(1) / 2020, तद्दिनांकितः–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, ब्लाक 11, पंचम तल सी०जी०ओ० कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
5. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी–उत्तराखण्ड।
9. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
11. निजी सचिव, मा० पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड।
12. एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
अपर सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्या :– 864 01 / (वि0आ0निदे0) / XXVII(1) / 2020
दिनांकः 17 जुलाई, 2020 का संलग्नक।

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में जिला पंचायतों को निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 की प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण।

(₹ *हजार में*)

कम संख्या	जिला पंचायत का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि (निर्दिष्ट अनुदान)
1	2	3
1	अल्मोड़ा	16608
2	बागेश्वर	9886
3	चमोली	16724
4	चम्पावत	7552
5	देहरादून	20521
6	हरिद्वार	37110
7	नैनीताल	12964
8	पौड़ी गढ़वाल	19395
9	पिथौरागढ़	14660
10	रूद्रप्रयाग	8107
11	टिहरी गढ़वाल	17228
12	उधमसिंह नगर	22892
13	उत्तरकाशी	11603
	योगः–	**215250**

(₹ इक्कीस करोड़ बावन लाख पचास हजार मात्र)

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
अपर सचिव वित्त।

IFMS

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Panchayati Raj(2283)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H20070070279

आवंटन पत्र दिनांक-17-JUL-2020

लेखा शीर्षक 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 00--

200-????? ????? ??????????? ??? ????????

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

07-जिला पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त मूल अनुदान

Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	7

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
69-समनुदेशन	215250000	215250000	0	430500000
योग	215250000	215250000	0	430500000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.21,52,50,000 (Rupees Twenty One Crores Fifty Two Lacs Fifty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2007:0002

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(भूपेश चन्द्र तिवारी,
अपर सचिव,
ऊर्जा एवं वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।